संख्या-102/2026/1312012/सात-न्याय-9(बजट)-2026- 07-9099/69/2023

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र,
उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग,
प्रयागराज।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 2026

विषय- जनपद-प्रयागराज में डा0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु आगामी किश्त की धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1383/एनएलयू(प्रयागराज)-पीएमजीएसवाई क्षेत्र-प्रया0/2026 दिनांक 17.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद-प्रयागराज में डा0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय कर लिए जाने के उपरान्त आगामी किश्त के रूप में धनराशि रूपये 9689.70 लाख निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-93/2024/281/सात-न्याय-9(बजट)-2024-800(83)/2021, दिनांक 01 मार्च, 2024 द्वारा प्रायोजना की आंकलित धनराशि रूपये 38758.81 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (रूपये तीन अरब सतासी करोड़ अठावन लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सपेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 20350.50 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण समर्पित की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-93/2024/281/सात-न्याय-9(बजट)-2024-800(83)/2021, दिनांक 01 मार्च, 2024 द्वारा प्रायोजना की आंकलित धनराशि रूपये 38758.81 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (रूपये तीन अरब सतासी करोड़ अठावन लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त् धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रू0 20350.50 लाख को समायोजित करते हुए कार्य की निरन्तरता बनाये रखने हेतु आगामी किश्त के रूप में धनराशि रूपये 4500.00 लाख(रूपये पैंतालीस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता (पी0एम0जी0एस0वाई0) ई0पी0सी0 मिशन लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग प्रयागराज को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-93/2024/281/सात-न्याय-9(बजट)-2024-800(83)/2021, दिनांक 01 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या-346/2024/796056/सात-न्याय-9(बजट)-2024-800(83) /2021, दिनांक 14-11-2024 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5- कार्यदायी संस्था द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्ष- 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-03-उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0-102 /2026/1312012(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2026 , तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- कुलपति, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज।
7- रजिस्ट्रार, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी इन्दिरा भवन, सिविल लाइन प्रयागराज।
10- मुख्य अभियंता, (भवन सेल) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. अधिशासी अभियता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग प्रयागराज।
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
13. उपसचिव एवं नोडल अधिकारी(बजट एलाटमेन्ट) श्री पीयूष कुमार ।
14- सबयूजर (विभागाध्यक्ष) न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15- न्याय अनुभाग-2
16. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
17. गार्डबुक न्याय-9(बजट)।

आज्ञा से,

(पीयूष कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in